न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

घीसाराम बनाम रिछपाल वगैरह विभाजन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज प्रा.पत्र अस्थाई निषे. मु.नं. 57/2024	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
09.06.2025	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। वकील अप्रार्थीगण जवाब प्रार्थना पत्र टी.आई. पेश करने बाबत अवसर चाहते है। वकील अप्रार्थीगण को न्यायहित में अन्तिम अवसर दिया जाता है। वास्ते पेश होने जवाब प्रार्थना पत्र टी.आई. आवश्यक रूप से पत्रावली दिनांक 24.06.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	
24.06.2025	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित मूल वाद पत्र उनवानी घीसाराम बनाम रिछपाल वगै0 में प्रारम्भिक डिक्री वकुलाय उभय पक्षकारान् की सहमति से आज दिनांक 24.06.2025 को जारी हो चुकी है तथा वादपत्र में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्रारम्भिक डिक्री की पालना में विधिक विभाजन प्रस्ताव उभय पक्षकारान् की सहमति अनुसार प्राप्त होने है। मूल वादपत्र में प्रारम्भिक डिक्री जारी हो जाने से इस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को वादपत्र के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाकर अन्तिम निस्तारण किया जाना उचित समझते है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में इस न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 11.06.2024 को मूल वाद पत्र उनवानी घीसाराम बनाम रिछपाल वगै0 के अन्तिम निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है तथा उभय पक्षकारान् को तादौराने वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:59:12 IST
Reason: SelfAttested